

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट

श्री मोहनलाल देशप्रेमी पुत्र श्री त्रिवेणीकांत

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी

जाति राजपुरोहित

अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही

निवासी पाड़ीव

जिला सिरौही।

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 03 वर्ष 2021

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
27.01.2021	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही को दिनांक 07.12.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति सिरौही के पत्र क्रं. फा/समिति/सरसि/142 दिनांक 04.08.90 में सरकार के साथ धोखाधड़ी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु निवेदन पत्र पर की सम्पूर्ण विभागीय कार्यवाही से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही को दिनांक 07.12.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति सिरौही के पत्र क्रं. फा/समिति/सरसि/142 दिनांक 04.08.90 में सरकार के साथ धोखाधड़ी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु निवेदन पत्र पर की सम्पूर्ण विभागीय कार्यवाही से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। सूचना सहकारी समितियां, सिरौही से सम्बन्धित होने के कारण अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 466 दिनांक 09.12.2020 को सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, सिरौही को लिखा गया। चूंकि सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितिया, सिरौही के अपील अधिकारी जिला कलक्टर सिरौही नहीं है। अतः अपीलांत की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरौही